



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

F4 (Policy) CCE/PI/2021-22/963

दिनांक 02/03/2023

आदेश

निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

- वर्तमान में प्रभावी नीति में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-रूपांतरण के उल्लिखित मापदंड के स्थान पर "शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपांतरण आदेश / सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपांतरण प्रक्रियाधीन होने का प्रमाण पत्र तथा परिशिष्ट 07 अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा " समावेशित किया जाता है।
- विशेष परिस्थिति/छात्रहित में नीति के किसी भी बिन्दु पर रियायत प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा " समावेशित किया जाता है।

उक्त संशोधन सत्र 2023 -24 से लागू होंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
- समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार।
- समस्त नोडल प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय राजस्थान
- समस्त सचिव/प्राचार्य निजी महाविद्यालय सामान्य शिक्षा, राजस्थान।
- वेब प्रभारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
- रक्षित पत्रावली

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.03.02 07:17:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3209201

